

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) गुकाम नावां (डीडवाना-कूवागन)

प्रतिवादीगण

रावसिंह/भगवतसिंह

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये

रसी-नेहरुनगर हुडील तहसील नावां

तहसीलदार नावां

म प्रकरण : राजस्व वाद

गुकदमा नं. 07 / 2025

हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
025	<p>वादीगण की ओर से यह वाद अधिवक्ता श्रीमती लक्ष्मी चौधरी ने अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब होकर गिराल दिनांक 03.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(जीतू कुलहरी) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p> <p>3/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बंधारे है पत्रावली दिनांक 8/4/25 को पेश होकर</p> <p>8/4/25: वकील वारी उपर प्रतिवादीगण की तरफ से सम्मन जमा कर है सरकार होकर मिला क्रिप्ट 13/5/25 को पेश है।</p> <p>13/5/25: वकील वारी उपर प्रतिवादी की तरफ से सम्मन जमा कर है जो दिख पाता है मिला क्रिप्ट 28/5/25 को पेश है।</p> <p>28/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बंधारे है पत्रावली दिनांक 11/6/25 को पेश होकर</p> <p>6/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वारी ओर बापिर। ज्ञात जे ज्ञात गरी पत्रावली के पत्रावली व पत्रावली के अधिवक्ता बापिर नहीं जाते। इतना प्रकरण में लापस गरीज पत्री सूचना गैर बापिर रहने से इन्हे ज्ञात प्रमुख प्रमाण/वाद पर 0/5 88 बन्धु दाखी + बन्धु पत्री में बापिर किया जाता है मिला क्रिप्ट इतने नष्ट होत है जो होकर बापिर रहता है।</p>	